(170)

5रु. भारत पाँच रुपये | 5रु. भारत पाँच रुपये | 5रु. भारत पाँच रुपये | 5रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

बैठक स्थान – भोपाल, जिला भोपाल, म0प्र0

निगरानी-0443/2019/सीहोर/भू.रा.स.

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक : ..../ 2019

श्रीमान ... द्वारा 26-3-19 को प्रस्तुत
26-3-19

रियाजउद्दीन आ0 स्व0 श्री कमरूद्दीन,
आयु 64 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी मोहल्ला किला,
आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 ... आवेदक

//विरूद्ध//

जमालउद्दीन आ0 स्व0 श्री शेख सुल्तान,
आयु 82 वर्ष, निवासी मोहल्ला किला आष्टा,
तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 .... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता,1959.

श्रीमानजी,

आवेदक, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल, संभाग भोपाल, म0प्र0, जिन्हें "पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र ज्ञापन" में "माननीय अधीनस्थ न्यायालय" कहा गया है, द्वारा प्रकरण कमांक 0322/अन्तरण/ 2018–19 रियाजउद्दीन विरूद्ध जमालउद्दीन में पारित आदेश दिनांक 28/2/19......, जिसे "पुनरीक्षण आवेदन पत्र ज्ञापन" में आगे सिर्फ "आलोच्य आदेश" लिखा गया है, के विरूद्ध निम्नानुसार वर्णित तथ्यों एवं विधि–आधारों पर पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं :–

"पुनरीक्षण आवेदन पत्र ज्ञापन"

1– यह कि, जमालउद्दीन द्वारा विधि–विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवेदन पत्र अन्तर्गत 109, 110 एवं 111 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959 श्रीमान तहसीलदार महोदय आष्टा जिला सीहोर, म0प्र0 के न्यायालय में

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-443/19/सीहोर/Rev

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-3-2019	आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा आवेदकपक्ष के प्रकरण अंतरण आवेदन पत्र निरस्त करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा उचित कारण बताते हुए बोलता हुआ आदेश पारित कर अंतरण आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया निगरानी में फेरफार करने के समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	